न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) समक्षः—दिलीप सिंह

<u>आर.सी.एस.ए-300016 / 2016</u> संस्थित दिनांक-18.03.2016

भुनेश्वर उम्र—36 साल पिता स्व. सुकचन्द जाति पनिका, साकिन बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

....वादी

-// विरूद्ध//-

1—लीलाबाई उम्र—49 साल पित स्व. सुकचन्द, जाति पिनका, 2—रिव उम्र—28 साल पिता स्व. श्री सुकचन्द, जाति पिनका, 3—चन्द्रप्रकाश उम्र—25 साल पिता स्व. श्री सुकचन्द, जाति पिनका, 4—रोहित उम्र—22 साल पिता स्व. श्री सुकचन्द, जाति पिनका, 5—सिता उम्र—20 साल पिता स्व. श्री सुकचन्द जाति पिनका, सभी निवासी—भिकेवाड़ा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट। 6—परसराम उम्र—42 साल पिता तुलसीराम, जाति नाई, निवासी—भिकेवाड़ा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट 7—मध्यप्रदेश राज्य की ओर से—श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट

.....प<u>्रतिवादीगण</u>।

-//<u>निर्णय</u>//-(<u>आज दिनांक-15.11.2017 को घोषित</u>)

- 1. वादी ने यह वादपत्र अंश निर्धारण व बंटवारा प्राप्ति हेत् प्रस्तुत किया है।
- वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। मूल पुरूष सुकचन्द की प्रथम पत्नी मुन्नीबाई थी, जिसके दो पुत्र भुनेश्वर एवं भूपेन्द्र था। भूपेन्द्र की अविवाहित अवस्था में मृत्यु हो गई है। मुन्नीबाई की मृत्यु के पश्चात् वादी के पिता सुकचन्द द्वारा प्रति.क-1 लीलाबाई से द्वितीय विवाह किया गया था, जिसकी संताने प्रति.क-2 लगा. 5 है। विवादित भूमि ख.नं-189 / 12 रकबा 0.99 / 0.401 हे., ख.नं-320 / 4 रकबा 0.061 हे., ख. नं-350 / 4 रकबा 0.304 हे., ख.नं-189 / 1 रकबा 2.308 हे. मौजा भिकेवाडा, प.ह. नं-4 रा.नि.मं. परसवाड़ा, तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट में स्थित भूमि प्रति.क-1 लगा. 5 को सुकचन्द के वारसान होने के कारण प्राप्त संपत्ति थी, जिसे प्रति.क-1 द्वारा वादी की जानकारी के बिना प्रति.क-6 को दिनांक-06.03.2005 को ख. नं-189 / 12 रकबा 0.401 हे. भूमि में से 0.90 डि. भूमि का पंजीयन चोरी-छिपे किया गया था, जिसकी जानकारी वादी को विवादग्रस्त भूमि की संशोधन पंजी क-3 दिनांकित-08.06.2005 की नकल प्राप्त करने पर हुई थी। प्रति.क-1 द्वारा भूमि ख.नं-189/12 में से 90 डिसमिल भूमि विक्रय किये जाने से ख.नं-189/12 रकबा 0.036 हे., ख.नं-320/4 रकबा 0.061 हे., ख.नं-350/4 रकबा 0.304 हे., ख.नं–189/1 रकबा 2.308 हे. भूमि वर्तमान में राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादी द्वारा दिनांक-05.12.2014 को तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष विवादित भूमि

का हक प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया गया था, जिसे तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया था। वादी ने उसके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रकरण में प्रति.क.—1 लगा. 6 दिनांक—15.12.2016 को तथा प्रति.क. 7 दिनांक—08.02.2017 को एकपक्षीय हो गए हैं। इस कारण उक्त प्रतिवादीगण की ओर से वादी के वादपत्र का जवाब नहीं दिया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारण प्रश्न निम्नलिखित है:-

1—क्या वादी भूमि ख.नं—189/12 रकबा 0.036 हे., 189/1 रकबा 2.308 हे., ख.नं—320/4 रकबा 0.061 हे., ख.नं—350/4 रकबा 0.304 हे. भूमि में से उसके एवं प्रतिवादीगण के मध्य बराबर अंश का बंटवारा कराए जाने का अधिकारी है ?

2—क्या प्रति.क—1 द्वारा प्रति.क—6 को ख.नं—189 / 12 में से 0.90 डि. भूमि विकय किये जाने के कारण प्रति.क—1 को प्राप्त होने वाली भूमि के अंश में कमी हुई है ?

विचारणीय प्रश्न क-1 व 2 का निराकरण:-

- 5. साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इस कारण दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6. भुनेश्वर वा.सा.1 ने स्वयं के मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि उसके पिता सुकचन्द की प्रथम विवाहिता पत्नी मुन्नीबाई थी, जिससे वादी एवं उसके भाई भूपेन्द्र का जन्म हुआ था। मुन्नीबाई की मृत्यु हो गई है। वादी के भाई भूपेन्द्र की भी लगभग 6–7 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई है। मुन्नीबाई की मृत्यु के पश्चात् वादी के पिता द्वारा प्रति.क–1 लीलाबाई से द्वितीय विवाह किया था, जिसकी प्रति.क–2 लगा. 5 जीवित संतान हैं। वादी के पिता की मृत्यु होने के कारण वादी एवं प्रति.क–1 लगा. 5 को ख.नं–189/12 रकबा 0.99/0.401 हे., ख.नं–320/4 रकबा 0.061 हे., ख.नं–350/4 रकबा 0.304 हे., ख.नं–189/1 रकबा 2.308 हे. मौजा भिकेवाड़ा, प.ह.नं–4 रा.नि.मं. परसवाड़ा, तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट की भूमि प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि वादी एवं प्रति.क–1 लगा. 5 को उसके पिता के वारसान होने के कारण खानदानी हक से प्राप्त होने वाली

संपत्ति थी, जिसको प्रति.क-1 द्वारा वादी की अनुपस्थिति में एवं बिना वादी की जानकारी के प्रति.क–6 को विवादित भूमि के ख.नं–189 / 12 रकबा 0.401 हे. भूमि में से 0.90 डि. भूमि का विक्यपत्र 6 मार्च 2005 को संपादित कर दिया है, जिसकी जानकारी वादी को विवादित भूमि की संशोधन पंजी क्र-3 दिनांकित-08. 06.2005 की नकल प्राप्त करने पर हुई थी। विवादित भूमि वादी के पिता को बंटवारे में खानदानी हक से प्राप्त संपत्ति है, जिसमे से प्रति.कृ–1 द्वारा ख. नं—189 / 12 में से 0.90 डि. भूमि विक्रय किये जाने के कारण वर्तमान में राजस्व प्रलेखों में भूमि ख.नं—189 ∕ 12 रकबा 0.036 हे., ख.नं—320 ∕ 4 रकबा 0.061 हे., ख.नं-350 / 4 रकबा 0.304 हे., ख.नं-189 / 1 रकबा 2.308 हे. भूमि बची है। प्रति. क-1 द्वारा विकय की गई भूमि को प्रति.क-1 को प्राप्त होने वाले हिस्से में कमी की जाकर उक्त विवादित भूमि का बराबर का हक प्राप्त करने के लिए वादी के द्वारा दिनांक-05.12.2014 को तहसीलदार परसवाड़ा के समक्ष बंटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया था। तहसीलदार परसवाड़ा ने स्वत्व संबंधी निराकरण के लिए सिविल वाद संस्थित करने का आदेश देकर वादी के बंटवारा आवेदन को निरस्त कर दिया था। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में तहसीलदार परसवाड़ा के राजस्व प्रकरण क-7-अ/27 वर्ष 2014-15 के संपूर्ण प्रकरण की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-1, विवादित भूमि का देहाती ग्रामों का अधिकार अभिलेख वर्ष 1962 प्रदर्श पी-3, विवादग्रस्त भूमि का वर्ष 2014-15 का खसरा पांचसाला प्रदर्श पी-4, विवादग्रस्त भूमि की संशोधन पंजी क-3 दिनांकित-08.06.2005 प्रदर्श पी-2 की सत्यप्रतिलिपियां प्रस्तुत की है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी—2 की संशोधन पंजी के अनुसार भूमि ख.नं—189 / 12 रकबा 0.365 हे. भूमि का भूमि स्वामी प्रति.क—6 है। वादी ने प्रति.क—1 द्वारा प्रति.क—6 को दिनांक—6.03.2015 को विकय की गई भूमि ख. नं—189 / 12 रकबा 0.90 डि. भूमि के विकयपत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। यदि वादी उक्त विकयपत्र को प्रस्तुत करता तो उससे यह स्थिति स्पष्ट होती कि विकयपत्र में उल्लेखित भूमि प्रति.क—1 ने अकेले ने या अन्य पक्षकारों ने भूमि विकय की थी एवं किस आवश्यकता के लिए भूमि विकय की गई थी। इस कारण उक्त भूमि के संबंध में कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं है। भूमि ख. नं—189 / 12 रकबा रकबा 0.365 हे. भूमि के वादी तथा प्रति.क—1 लगा. 5 भूमि स्वामी नहीं है, इसलिए वादी भूमेश्वर का वादपत्र भूमि ख.नं—189 / 12 रकबा 0.365 हे. में 1/6 अंश घोषित किये जाने एवं बंटवारा किये जाने तक की सीमा तक वाद निरस्त किया जाता है तथा शेष ख.नं—189 / 1 रकबा 2.308 हे., ख.

नं—320 / 4 रकबा 0.061 हे., ख.नं—350 / 4 रकबा 0.304 हे. भूमि कुल रकबा 2.67 हे. जिसका उल्लेख प्रदर्श पी—4 के खसरा पांचसाला में है। उक्त भूमि में वादी तथा प्रति.क—1 लगा. 5 को बराबर का अंशधारी होना घोषित किया जाता है। उक्तानुसार वादी बंटवारा कराने का अधिकारी रहेगा। वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:—

1—यह घोषित किया जाता है कि वादी भूमि ख.नं—189/1 रकबा 2.308 हे., ख. नं—320/4 रकबा 0.061 हे., ख.नं—350/4 रकबा 0.304 हे. प.ह.नं—4 मौजा भीकेवाड़ा तह. परसवाड़ा जिला बालाघाट की भूमि में प्रतिवादी क01 लगा.05 के साथ बराबर का अंशधारी है।

2—यह घोषित किया जाता है कि वादी भूमि ख.नं—189/1 रकबा 2.308 हे., ख. नं—320/4 रकबा 0.061 हे., ख.नं—350/4 रकबा 0.304 हे. भूमि मौजा भीकेवाड़ा, रा.नि.मं. व तह. परसवाड़ा, जिला बालाघाट म.प्र. की भूमि का प्रति.क—1 लगा. 5 से बंटवारा कराने का अधिकारी है।

- 1. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 2. अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तद्ानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —
(दिलीप सिंह)
द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग—1,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित।

सही / – (दिलीप सिंह) द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग–1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट